पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

सुशांत कुमार सिंह

बनाम

श्रीमती अर्पणा कुमारी

2011 की विविध अपील सं.433

5 अप्रैल 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार और माननीय न्यायमूर्ति श्री सत्यव्रत वर्मा)

विचार के लिए मुद्दा

क्या विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पटना द्वारा वैवाहिक वाद संख्या 691/2008 में पारित निर्णय एवं डिक्री सही है या नहीं?

हेडनोट्स

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984—धारा 19(1)—हिंदू विवाह अधिनियम, 1955—धारा 13 —तलाक—इनकार—क्रूरता और परित्याग—साबित करने का भार—पक्षकारों का आचरण—विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत विवाह संपन्न हुआ—अपीलकर्ता ने संभोग न करने, साथ रहने से इनकार करने और मानसिक क्रूरता का आरोप लगाया—प्रतिवादी ने आरोपों से इनकार किया, प्रेम विवाह, पारिवारिक दबाव के कारण रिश्ते को छिपाने और दहेज की मांग का दावा किया— पारिवारिक न्यायालय को क्रूरता या परित्याग का कोई सबूत नहीं मिला।

निर्णय: अपीलकर्ता क्रूरता या परित्याग के विशिष्ट उदाहरणों को साबित करने में विफल रहा - वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए कोई कानूनी कदम नहीं उठाया गया - अपीलकर्ता का आचरण, जिसमें विवाह को छिपाना और सार्वजनिक रूप से प्रतिवादी को स्वीकार करने में विफलता शामिल है, वैवाहिक संबंध बनाए रखने के इरादे की कमी को दर्शाता है - केवल लंबे समय तक अलगाव क्रूरता का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं है - मानसिक क्रूरता को सहवास को असहनीय बनाने वाले आचरण से प्रमाणित किया जाना चाहिए - प्रतिवादी ने वैवाहिक संबंध जारी रखने की इच्छा व्यक्त की और गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया - अपीलकर्ता का

आचरण मानसिक क्रूरता का स्रोत पाया गया - अपील खारिज - विद्वान पारिवारिक न्यायालय के निर्णय और डिक्री की पुष्टि की गई।

न्याय दृष्टान्त

समर घोष बनाम जया घोष**, (2007) 4 एससीसी 511;** एन.जी. दास्ताने **(**डॉ.**)** बनाम एस. दास्ताने—**पर भरोसा किया गया।**

अधिनियमों की सूची

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984; हिंदू विवाह अधिनियम, 1955।

मुख्य शब्दों की सूची

तलाक, मानसिक क्रूरता, क्रूरता, परित्याग, विवाह, वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना।

प्रकरण से उत्पन्न

विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पटना द्वारा वैवाहिक वाद संख्या 691/2008 में पारित निर्णय दिनांक 30.04.2011 एवं डिक्री दिनांक 06.05.2011 से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं के लिए**:** श्री शिव शंकर शर्मा**,** अधिवक्ता**;** श्री राजीव नयन**,** अधिवक्ता।

उत्तरदाता/ओं के लिए **:** श्री जे**.**एस**.**अरोड़ा**,** अधिवक्ता।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता।

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2011 की विविध अपील सं.433

==

सुशांत कुमार सिंह, पिता- श्री शिव नंदन प्रसाद सिंह, निवासी- श्री कृष्ण नगर, रोड सं-23 थाना- बुद्धा कॉलोनी, जिला-पटना, पिन कोड-800001।

... ... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

श्रीमती अरपना कुमारी, पति- सुशांत कुमार सिंह, पिता- दिवंगत गजेंद्र प्रसाद, निवासी- द्वारा- डॉ. गजेंद्र प्रसाद, सी.ए.-12, पी. सी. कॉलोनी, कंकड़बाग, जिला-पटना।

... ... उत्तरदाता/ओं

==

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री शिव शंकर शर्मा, अधिवक्ता

श्री राजीव नयन, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री जे.एस. अरोड़ा, अधिवक्ता

==

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री सत्यव्रत वर्मा

सी.ए.वी. निर्णय

(द्वारा- माननीय न्यायमूर्ति श्री सत्यव्रत वर्मा)

दिनांकः 05/04/2023

श्री राजीव नयन, अपीलकर्ता/पति के अधिवक्ता तथा उत्तरदाता/पत्नी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जे. एस. अरोड़ा की दलीलें सुनी गईं।

वर्तमान अपील दिनांक 30.04.2011 के निर्णय तथा दिनांक 06.05.2011 के डिक्री के विरुद्ध दायर की गई है, जो कि वैवाहिक वाद सं. 691 सन् 2008 में माननीय प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, पटना द्वारा पारित की गई थी, जिसमें अपीलार्थी द्वारा उत्तरदाता के विरुद्ध क्रूरता एवं परित्याग के आधार पर विवाह विच्छेद की मांग करते हुए दायर वाद को निरस्त कर दिया गया था।

अपील के गुण-दोष पर विचार करने से पूर्व, मामले के संक्षिप्त तथ्यों का उल्लेख करना समीचीन होगा।

अपीलार्थी ने 2008 की वैवाहिक वाद सं. 691 को दायर किया, जिसमें यह निवेदन किया गया कि उसका विवाह दिनांक 28.04.2005 को उत्तरदाता के साथ विवाह अधिकारी, पटना के समक्ष विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अंतर्गत सम्पन्न हुआ। यह एक अंतरजातीय विवाह था। विवाह तीन गवाहों की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिन्होंने विवाह प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर भी किए। विवाहोपरांत अपीलार्थी ने उत्तरदाता से उसके वैवाहिक गृह चलने का अनुरोध किया, किन्तु उत्तरदाता ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं है और केवल तभी वैवाहिक गृह में जाएगी जब सभी पारिवारिक सदस्यों की अनुमति प्राप्त कर हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार पुनः विवाह सम्पन्न होगा। उत्तरदाता ने सार्वजनिक रूप से विवाह प्रकट न करने की इच्छा व्यक्त करते हुए अपने मस्तक पर सिंदूर लगाने से भी इंकार कर दिया, जिससे अपीलार्थी की भावनाएँ आहत हुईं। यह तथ्य भी प्रतिवेदित है कि विवाह के उपरांत अपीलार्थी एवं उत्तरदाता कभी साथ नहीं रहे और न ही उनके मध्य दांपत्य सम्बन्ध स्थापित हुए, अर्थात् विवाह की परिणति नही हुई थी। अपीलार्थी का परिवार उत्तरदाता को अपनी पुत्रवधू के रूप में स्वीकार करने हेतु तैयार था, परन्तु उत्तरदाता ने कभी वैवाहिक गृह आने में रुचि नहीं दिखाई और पूर्णतया एक अजनबी के समान व्यवहार किया। यह भी कथित है कि उत्तरदाता अपीलार्थी के साथ आने से बचने के लिए निरर्थक कारण प्रस्तुत करती रही, जैसे कि अपीलार्थी के पास पटना में न तो नौकरी है और न ही मकान, चूँकि वह किराए के एक कमरे में निवासरत था। जब अपीलार्थी को यह आभास हुआ कि उत्तरदाता वैवाहिक सम्बन्ध पुनर्जीवित करने में कोई रुचि नहीं रखती है, तो उसने अक्टूबर 2005 में अपना शोध-कार्य त्याग दिया और नवम्बर 2005 में यूनिसेफ में नौकरी ग्रहण की ताकि अधिक आय अर्जित कर सके, किन्तु उत्तरदाता ने उसके पश्चात भी उससे जुड़ने का कोई प्रयास नहीं किया। फलस्वरूप, अपीलार्थी को अत्यधिक मानसिक वेदना एवं स्वास्थ्य ह्रास का सामना करना पड़ा, जिससे उसे भावनात्मक आघात हुआ और अंततः उसने यूनिसेफ की नौकरी भी छोड़ दी। अपीलकर्ता ने एक तीन शयनकक्षीय फ़्लैट भी लिया था और चाहता था कि उत्तरदाता उसके साथ आकर रहे ताकि वह अपने परिवारजनों से मिल सके, परंतु अंततः वैवाहिक संबंधों को पुनर्जीवित करने के उसके सभी प्रयास विफल हो गए। अतएव, जब अपीलकर्ता के पिता ने उत्तरदाता को पुनः उसके वैवाहिक गृह लाने का प्रयास किया, तब उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया तथा उन्हें उत्तरदाता के घर से अपमानित कर निकाल दिया गया।

अपीलकर्ता ने उत्तरदाता के वैमनस्यपूर्ण व्यवहार के उपरान्त भी वैवाहिक सम्बन्धों को पुनर्जीवित करने का प्रयास दिनांक 21.05.2006 एवं तत्पश्चात् 18.06.2006 को किया, किन्तु उसके समस्त प्रयत्न निष्फल सिद्ध हुए। अपीलकर्ता ने यहाँ तक कि उत्तरदाता के गृह पर जाकर वैवाहिक सम्बन्धों के पूर्णता हेतु प्रयास किया, परन्तु उत्तरदाता ने स्पष्ट अस्वीकार कर दिया तथा कटु एवं अवमाननापूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि उसका विवाह किसी आई.ए.एस. अधिकारी अथवा चिकित्सक से हो सकता था, क्योंकि वह उत्तम जीवन की अधिकारिणी है।

अपीलकर्ता की मानसिक वेदना उत्तरदाता के आचरण से और अधिक गहन हो गई, जब उसने अपीलकर्ता के घर पर उसकी दादी के निधन के उपरान्त उपस्थिति नहीं दी और न ही किसी भी अंतिम संस्कार सम्बन्धी संस्कारों/अनुष्ठानों में भाग लिया। फलस्वरूप, अपीलकर्ता ने उत्तरदाता से आपसी सहमति से विवाह विच्छेद हेतु सहमति प्राप्त करने का प्रयास किया, जिस पर उसने सहमति भी प्रदान की और तत्पश्चात् दिनांक 10.04.2008 को आपसी सहमति से विवाह विच्छेद हेतु याचिका प्रस्तुत की गई, जिसका पंजीकरण 2008 की वैवाहिक वाद संख्या 177 के रूप में हुआ। तथापि, दिनांक 25.08.2008 को उत्तरदाता ने यह कहते हुए अपनी सहमति वापस ले ली कि उसके हस्ताक्षर दबाव डालकर एवं भ्रम उत्पन्न कर प्राप्त किए गए थे।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों का अपीलकर्ता की याचिका के आधार पर किया गया विवेचन यह स्पष्ट करता है कि विवाह की तिथि से लेकर वैवाहिक वाद दायर किए जाने तक अपीलकर्ता एवं उत्तरदाता कभी भी एक साथ नहीं रहे और न ही विवाह की परिणति हुई। अतः, उक्त अभिलेखों के आधार पर अपीलकर्ता ने विवाह विच्छेद की डिक्री की प्रार्थना की।

उत्तरदाता ने उपस्थित होकर पारिवारिक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में पति द्वारा की गई समस्त अभिलेखों का खंडन करते हुए अपना लिखित कथन दाखिल किया।

उत्तरदाता का विशेष कथन यह था कि अपीलकर्ता द्वारा प्रासंगिक तथ्यों को छिपाकर अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। उत्तरदाता का विशिष्ट कथन यह है कि दोनों पक्ष परास्नातक में सहपाठी थे और एक-दूसरे से प्रेम करने लगे तथा अपीलकर्ता ने विवाह का प्रस्ताव दिया, जिसे उत्तरदाता ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात, दोनों पक्षों के पारिवारिक सदस्य दिसंबर, 2004 में पहली बार मिले और यह सहमति बनी कि प्रारंभ में विवाह निबंधक के समक्ष होगा तथा बाद में हिंदू रीति-रिवाजों एवं परंपराओं के अनुसार सम्पन्न किया जाएगा, तत्पश्चात उत्तरदाता का दर्जा अपीलकर्ता की पत्नी के रूप में प्रकट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उत्तरदाता को यह भी

बताया गया कि अपीलकर्ता की बहन का विवाह होना है और चूँकि अपीलकर्ता एवं उत्तरदाता का विवाह अंतरजातीय है, अतः इसका प्रभाव अपीलकर्ता की बहन के विवाह की संभावना पर पड़ सकता है। फलतः दिनांक 28.04.2005 को विवाह निबंधक, पटना के समक्ष विवाह संपन्न हुआ, जिसमें दोनों पक्षों की माताओं ने विवाह प्रमाणपत्र पर साक्षी के रूप में हस्ताक्षर किए। उत्तरदाता ने सदा अपीलकर्ता के साथ रहने का प्रयास किया, किन्तु विवाह के समय लगाई गई शर्त के कारण, कि उसका संबंध अपीलकर्ता की पत्नी के रूप में अपीलकर्ता की बहन के विवाह उपरांत ही प्रकट किया जाएगा, उसे पति के साथ जाने की अनुमति नहीं दी गई। आगे चलकर, उत्तरदाता के पिता के सेवानिवृत्त होने के पश्चात अपीलकर्ता के व्यवहार में स्पष्ट परिवर्तन देखा गया, क्योंकि अपीलकर्ता अपने पिता के साथ मिलकर अपनी बहन के विवाह हेतु दहेज के रूप में ₹11,00,000/- की मांग करने लगा। इस मांग ने उत्तरदाता के परिवार को स्तब्ध कर दिया क्योंकि वे उक्त मांग पूरी करने की स्थिति में नहीं थे। उक्त मांग की पूर्ति न होने पर यह धमकी दी गई कि उत्तरदाता को वैवाहिक गृह में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तत्पश्चात, अपीलकर्ता ने यह कहकर उत्तरदाता को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करना आरम्भ किया कि वह संबंध बनाए रखना चाहता है किन्तु उसके माता-पिता इच्छुक नहीं हैं, अतः उनकी इच्छाओं को संतुष्ट करने हेतु आपसी सहमति से विवाह विच्छेद हेतु वाद दायर करना चाहिए, किन्तु उस पर कभी कार्यवाही नहीं की जाएगी। अपीलकर्ता की बातों पर विश्वास करते हुए उत्तरदाता ने याचिका पर हस्ताक्षर कर दिए, किन्तु बाद में यह अनुभव हुआ कि यह मिथ्या प्रस्तुति एवं छल द्वारा प्राप्त किया गया था, फलतः उसने अपनी सहमति वापस ले ली। इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता ने कभी उत्तरदाता को वैवाहिक गृह लाने का कोई प्रयास नहीं किया। दोनों पक्ष पूर्व से सहपाठी रहे हैं, अतः वे एक-दूसरे के पारिवारिक परिस्थितियों से अवगत थे। उत्तरदाता ने कभी अपीलकर्ता अथवा उसके परिवार का अपमान नहीं किया और न ही अपीलकर्ता अथवा उसके पिता कभी उत्तरदाता को उसके घर से वैवाहिक गृह ले जाने आए। उत्तरदाता ने कभी अपीलकर्ता को शारीरिक संबंध बनाने से नहीं रोका क्योंकि ऐसी स्थिति ही अपीलकर्ता के आचरण के कारण उत्पन्न नहीं हुई। चूँकि विवाह पूर्व दोनों एक-दूसरे को जानते थे, अतः उत्तरदाता द्वारा यह कहकर अपीलकर्ता अथवा उसके पिता को अपमानित करना कि वह किसी आई.ए.एस. अधिकारी अथवा चिकित्सक से विवाह कर सकती थी, उत्पन्न ही नहीं होता क्योंकि यह विवाह प्रेम विवाह था। उत्तरदाता एवं उसकी माता अपीलकर्ता की दादी से मिलने मगध अस्पताल, पटना गई थीं जब वह भर्ती थीं, किन्तु उन्हें चेतावनी दी गई कि वे पुनः न आएँ।

उत्तरदाता के लिखित कथन से यह परिलक्षित होता है कि अपीलकर्ता एवं उत्तरदाता सहपाठी थे तथा परस्पर प्रेम करते थे। दोनों भिन्न जातियों से संबंधित थे, फलतः उनका विवाह विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अंतर्गत संपन्न हुआ। अपीलकर्ता के पारिवारिक सदस्यों ने यह शर्त रखी कि चूँकि यह विवाह अंतरजातीय है, अतः इस संबंध को अपीलकर्ता की बहन के विवाह संपन्न होने तक गुप्त रखा जाएगा, अन्यथा उसकी बहन के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

पक्षकारों के कथनों के आधार पर, माननीय परिवार न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मुद्दों का निर्माण किया गया:

1. क्या वाद यथास्थिति में विचारणीय है?
2. क्या याचिकाकर्ता को इस वाद हेतु कोई वैध कारण-कार्रवाई प्राप्त है?
3. क्या इस न्यायालय को इस वाद की सुनवाई का वैध क्षेत्राधिकार प्राप्त है?
4. क्या उत्तरदाता ने याचिकाकर्ता के साथ आरोपित रूप से क्रूरता का व्यवहार किया है?
5. क्या उत्तरदाता ने याचिकाकर्ता को इस विवाह विच्छेद संबंधी वाद की प्रस्तुति से पूर्व निरंतर दो वर्षों से अधिक की अवधि तक परित्यक्त रखा है?
6. क्या याचिकाकर्ता उत्तरदाता के साथ वैवाहिक संबंध-विच्छेद हेतु विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है?
7. याचिकाकर्ता अथवा उत्तरदाता अन्य किन-किन राहतों के लिए, यदि कोई हो, अधिकारी हैं?

दोनों पक्षों ने मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए और माननीय परिवार न्यायालय ने पक्षकारों के कथनों एवं प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के उपरान्त उपर्युक्त वादों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पति क्रूरता एवं परित्याग के तथ्य को सिद्ध करने में असफल रहा। इसके परिणामस्वरूप दिनांक 30.04.2011 एवं 06.05.2011 को क्रमशः आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री पारित की गई।

अपीलकर्ता ने आक्षेपित निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का समुचित दृष्टिकोण से विचार नहीं किया तथा इस तथ्य की उपेक्षा की कि जब दीर्घ अवधि तक निरंतर पृथक्करण की स्थिति बनी रहती है, तो इसे उचित रूप से इस प्रकार ग्रहण किया जा सकता है कि वैवाहिक बंधन अब सुधार से परे है और विवाह केवल एक काल्पनिक बंधन बन जाता जो बस विधिक संबंध के आधार पर अस्तित्व में है। ऐसी परिस्थिति में उस संबंध को विच्छेदित करने से इंकार करना विवाह की पवित्रता की

रक्षा नहीं करता, बल्कि पक्षकारों की भावनाओं एवं संवेदनाओं की उपेक्षा करना है, और परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आती है।

उक्त प्रतिवेदन अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 10.01.2023 के आदेश को दृष्टिगत रखते हुए किया गया, जो वर्तमान वाद में पारित हुआ था, जब पक्षकारों के मध्य समझौते का प्रयास किया गया था। उस अवसर पर अपीलकर्ता एवं उत्तरदाता, दोनों, चैम्बर में उपस्थित थे, जहाँ पति ने यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया कि वह वैवाहिक संबंध को आगे बढ़ाने में पूर्णतः असमर्थ है, तथापि उसने यह कहा कि वह उत्तरदाता को एक मानव मात्र, एक मित्र तथा अतीत की परिचिता के रूप में स्वीकार करने को तैयार है तथा यह भी कहा कि यदि उत्तरदाता को किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो वह सहयोग देने को तत्पर है, किन्तु दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना हेतु वह तैयार नहीं है। इसके विपरीत, उत्तरदाता ने अपनी यह इच्छा प्रकट की कि वह अपीलकर्ता के साथ उसकी पत्नी के रूप में रहना चाहती है और किसी भी प्रकार के आर्थिक प्रतिकर के विचार के प्रति वह इच्छुक नहीं थी, बल्कि ऐसे विचार के प्रति उसने घोर आपत्ति व्यक्त की।

विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता की ओर से तीन साक्षियों का परीक्षण किया गया, अर्थात् अ.सा.-1 अजय कुमार उर्फ़ अजय गोविंद भट्ट, अ.सा.-2 शुशांत कुमार सिंह (अपीलकर्ता) तथा अ.सा.-3 शिव नंदन प्रसाद सिंह (अपीलकर्ता के पिता) और अपीलकर्ता की ओर से चार प्रदर्श अभिलेख पर लाए गए, जैसा कि आक्षेपित निर्णय में विस्तृत है। उत्तरदाता की ओर से दो साक्षियों का परीक्षण किया गया, अर्थात् व.सा.-1 अर्पणा कुमारी (उत्तरदाता) तथा व.सा.-2 मृणालिनी यादव (उत्तरदाता की माता) और उत्तरदाता की ओर से 14 प्रदर्श अभिलेख पर लाए गए, अर्थात् प्रदर्श ‘क’ से प्रदर्श ‘म’ तक, जैसा कि आक्षेपित निर्णय में विस्तृत है।

प्रासंगिक साक्ष्य अपीलकर्ता एवं उत्तरदाता के हैं, तथापि संक्षेप में न्यायालय अपीलकर्ता एवं उत्तरदाता की ओर से प्रस्तुत साक्षियों के कथन अभिलेखित करेगा, ताकि विवादित मुद्दे का मूल्यांकन किया जा सके, अर्थात् यह कि अपीलकर्ता द्वारा दायर वैवाहिक वाद, क्रूरता एवं परित्याग के आधार पर सफल हो सकता था अथवा नहीं।

अ.सा.-1 अजय कुमार उर्फ़ अजय गोविन्द भट्ट ने अपने मुख्य परीक्षण, जो कि हलफ़नामे पर दाख़िल किया गया था, में यह कहा कि वह अपीलकर्ता और उत्तरदाता दोनों को

जानते हैं तथा उनके साथ एक प्रोजेक्ट आर्सेनिक पर कार्य कर चुके हैं, पक्षकारों का विवाह उनकी आपसी सहमति से तथा विवाह पदाधिकारी, पटना के समक्ष दिनांक 28.04.2005 को उत्तरदाता की माता और अपीलकर्ता की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। उत्तरदाता की ओर से आए हुए एक मुकेश कुमार ने भी विवाह प्रमाण पत्र पर गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए। इसके अतिरिक्त, अपने प्रति-परीक्षण की कंडिका 4 में इस गवाह ने यह स्वीकार किया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि अपीलकर्ता और उत्तरदाता ने आपस में कब और किस समय बातचीत की तथा यह भी जानकारी नहीं है कि अपीलकर्ता के पारिवारिक सदस्य उत्तरदाता के घर गए थे या नहीं और यदि गए तो कितनी बार।

इस गवाह के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता एवं उत्तरदाता पूर्व से ही एक-दूसरे को जानते थे तथा विवाह आपसी सहमति से सम्पन्न हुआ था।

अ.सा.-2 (अपीलकर्ता) ने अपने मुख्य परीक्षण, जो शपथ-पत्र पर दायर किया गया था, में वही बातें हूबहू दोहराई हैं जो उपर्युक्त रूप से अभिलेखित वाद में प्रतिपादित की गई थीं। अ.सा.-2 ने अपने प्रति-परीक्षण की कंडिका-4 में स्वीकार किया कि उन्होंने उत्तरदाता के विरुद्ध दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना हेतु कोई आवेदन दायर नहीं किया, आगे कंडिका-5 में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने नियोजक को कभी यह नहीं बताया कि वे विवाहित हैं अथवा नहीं, कंडिका-6 में कहा कि उन्होंने कभी यह प्रयास नहीं किया कि अपनी पत्नी का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराया जाए, आगे कंडिका-9 में स्वीकार किया कि उन्होंने कभी यह प्रयास नहीं किया कि उत्तरदाता का नाम अपने बैंक खाते अथवा बीमा पॉलिसी में नामांकित करवाएँ। आगे कंडिका-15 में कहा कि उन्होंने विवाह की जानकारी केवल अपने परिवार के कुछ सदस्यों को ही दी थी और यह भी कि उन्होंने पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद हेतु एक वाद दायर किया था, जिसमें उत्तरदाता ने यह कहते हुए याचिका दायर की कि सहमति छल एवं दबाव डालकर ली गई थी, फलस्वरूप वह वाद निरस्त कर दिया गया।

अ.सा.-2 के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि यद्यपि उन्होंने यह कहा है कि उन्होंने अपने वैवाहिक संबंधों को पुनर्स्थापित करने हेतु हर संभव प्रयास किया, तथापि उनका आचरण इसके विपरीत परिलक्षित होता है, क्योंकि उन्होंने उत्तरदाता को वैवाहिक गृह में पुनः लाने हेतु दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का आवेदन कभी प्रस्तुत नहीं किया। उनका आचरण यह भी दर्शाता है

कि उन्होंने कभी उत्तरदाता के साथ अपने संबंध को सार्वजनिक करने की मंशा नहीं रखी, क्योंकि उपर्युक्त उल्लेखित किसी भी दस्तावेज़ में उन्होंने उत्तरदाता का नाम सम्मिलित नहीं किया।

इस अवस्था में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि अपीलकर्ता ने विवाह उपरांत अपना पासपोर्ट अविवाहित दर्शाते हुए बनवाया था, जो स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित करता है कि वह उत्तरदाता के साथ अपने दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना के प्रति गंभीर नहीं था।

यद्यपि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता की इस प्रस्तुति का अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा खण्डन नहीं किया गया, तथापि अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता ने अपने संबंध के विषय में इसलिए खुलासा नहीं किया क्योंकि उससे उसके नियोक्ता द्वारा कभी पूछा ही नहीं गया।

अ. सा.-3 (अपीलकर्ता के पिता) ने भी अपना मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र पर प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता ने उन्हें बताया था कि वह उत्तरदाता से विवाह करना चाहता है और उसकी जाति के विषय में भी जानकारी दी थी। उन्होंने आगे कहा कि उनके परिवार में अंतरजातीय विवाह कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्वयं भिन्न जाति की महिला से विवाह किया है और उनके बड़े पुत्र ने भी भिन्न जाति की लड़की से विवाह किया है। आगे यह भी कहा गया कि उन्होंने उत्तरदाता और उसकी माता से भेंट की थी किन्तु उत्तरदाता का भाई नहीं आया था, और उन्होंने उन्हें हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह करने की अनुमति दी थी। उत्तरदाता की माता इस बात पर अड़ी रही कि पहले पंजीकृत विवाह हो और तत्पश्चात हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह सम्पन्न हो तथा तभी इस संबंध का समाज में प्रकटीकरण किया जाए। अपीलकर्ता के पिता ने इस बात को स्वीकार किया, और तदनुसार 28.04.2005 को पंजीकृत विवाह सम्पन्न हुआ। विवाह के समय उत्तरदाता अपनी माता के साथ उपस्थित थी और अपीलकर्ता की ओर से अपीलकर्ता तथा उसकी माता उपस्थित थे, जबकि अपीलकर्ता के पिता अपने पुत्र और पुत्रवधू के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, किन्तु उत्तरदाता विवाह के पंजीकरण के पश्चात घर नहीं आई और पूछने पर अपीलकर्ता ने बताया कि उत्तरदाता इस बात पर अड़ी हुई है कि विवाह का प्रकटीकरण तभी किया जाएगा जब हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह सम्पन्न हो और अन्य पारिवारिक सदस्यों से अनुमति मिल जाए। उन्होंने यह भी कहा कि 15.01.2006 को वे अपीलकर्ता के साथ उत्तरदाता को लाने के लिए उसके घर गए, किन्तु उन्हें

गाली-गलौज कर अपमानित किया गया और क्रूरता का व्यवहार किया गया तथा अपीलकर्ता के उत्तरदाता को उसके वैवाहिक गृह में वापस लाने के प्रयास विफल हो गए।

अ. सा.-3 के साक्ष्य से दो बातें स्पष्ट होती हैं, परिवार में अंतरजातीय विवाह कोई बाधा नहीं था और उन्होंने उत्तरदाता को पुनः घर लाने हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किया तथा न ही अपीलकर्ता को अपनी वैवाहिक सहजीवन की पुनर्स्थापना के लिए विधिक उपाय अपनाने की सलाह दी, जबकि परिवार में अंतरजातीय विवाह कोई अवरोध नहीं था।

इसके उपरान्त, उत्तरदाता एवं उसके साक्षी का साक्ष्य लिया गया। वि.सा.-1 (उत्तरदाता) ने भी अपना मुख्य परीक्षण हलफ़नामे पर प्रस्तुत किया, जिसमें उसके लिखित कथन में की गई दलीलें लगभग शब्दशः दोहराई गईं।

वि.सा.-1 ने अपने मुख्य परीक्षण में अनुच्छेद 4 पर कहा कि उसके श्वसुर दिसंबर, 2004 में उसके घर आए थे और यह स्पष्ट कर दिया था कि विवाह पंजीकृत होगा तथा हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह केवल अपीलकर्ता की बहन के विवाह उपरान्त ही संपन्न होगा। उसने कहा कि विवाह के बाद वह अपीलकर्ता के घर गई और पति-पत्नी के रूप में वहाँ रही, किन्तु उसी दिन उसे उसके मायके पहुँचा दिया गया, इस प्रकार उसने इस सुझाव का खंडन किया कि वह एक दिन भी अपने पति के साथ नहीं रही। उसके प्रतिपरीक्षण के अनुच्छेद 5 में उसने कहा कि वह अपीलकर्ता के कृष्णा नगर स्थित घर 3-4 बार गई, किन्तु उसे यह कहकर ठहरने नहीं दिया गया कि वह अपीलकर्ता की बहन के विवाह के बाद ही उसके साथ रह सकती है। उसी अनुच्छेद में उसने यह भी कहा कि विवाह का सहवास हुआ था। इस पर अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि उत्तरदाता ने असत्य कहा है कि विवाह का सहवास हुआ था, जबकि उसके लिखित कथन एवं मुख्य परीक्षण से अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि ऐसी कोई दलील नहीं ली गई थी। कंडिका 6, 7 एवं 8 में उसने कहा कि उसने सिन्दूर धारण किया और न्यायालय आई, अपीलकर्ता उसके घर आने-जाने की स्थिति में था और वह अपीलकर्ता की बीमार दादी को देखने मगध अस्पताल गयी थी, जिनका दिसंबर, 2007 में निधन हो गया। उसे अपनी दादी-सास की अन्तिम यात्रा (अन्तिम दर्शन) के लिए कभी नहीं बुलाया गया और न ही अपनी ननद के विवाह की सूचना अपीलकर्ता द्वारा दी गई। कंडिका 10 में अपने प्रतिपरीक्षण में उसने इस सुझाव का खंडन किया कि दहेज माँगने का आरोप निराधार है तथा इस सुझाव का भी खंडन किया कि अपीलकर्ता अपने पिता के साथ 15.01.2006 को उसके घर गए थे जहाँ

उनका अपमान किया गया। कंडिका 12 में उसने इस सुझाव का भी खंडन किया कि उसने आपसी सहमति से विवाह विच्छेद के लिए सहमति दी थी।

उनके साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्तरदाता अपनी बात सिद्ध करने में सफल रही हैं कि वास्तव में अपीलकर्ता ही थे जिन्होंने उन्हें अत्यधिक मानसिक आघात एवं शारीरिक यातना दी और आगे उन्हें समाज के समक्ष अपमानित जीवन जीने के लिए विवश कर दिया, इस बहाने से कि संबंधों का प्रकटीकरण केवल उनकी बहन के विवाह के उपरांत ही किया जाएगा।

यह बिल्कुल तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता कि उत्तरदाता, अपीलकर्ता से विवाह करने के बाद अपने ससुराल क्यों नहीं जातीं, जबकि परिवार में अंतरजातीय विवाह कोई बाधा नहीं था। साथ ही, अपीलकर्ता का यह आचरण कि उन्होंने अपने वैवाहिक अधिकारों की पुनःस्थापना हेतु कोई कानूनी उपाय नहीं अपनाया, जबकि उनके पिता और भाई ने भी अंतरजातीय विवाह किया था, इस न्यायालय को यह आभास कराता है कि विवाह उपरांत किसी गुप्त कारणवश अपीलकर्ता न तो अपने वैवाहिक संबंधों को पुनर्जीवित करना चाहते थे और न ही समाज में इस संबंध का प्रकटीकरण करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने पूर्वोक्त रूप से किसी भी दस्तावेज़ में उत्तरदाता का नाम दर्ज कराने का कोई प्रयास नहीं किया।

वि. सा.-2 ने भी अपना मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने वही तथ्य उल्लेखित किए जो उत्तरदाता ने बताए थे। कंडिका-7 में उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता की बहन के विवाह के समय ₹12 लाख की दहेज की मांग की गई थी और यह भी कहा गया कि केवल अपीलकर्ता की बहन के विवाह के बाद ही अपीलकर्ता और उत्तरदाता का विवाह हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न किया जाएगा। उन्होंने प्रति-परीक्षण की कसौटी पर भी स्वयं को खरा साबित किया क्योंकि उनकी मुख्य परीक्षण में दिए गए कथनों का खंडन करने योग्य कुछ भी उनकी प्रति-परीक्षण में नहीं पाया गया।

अभिलेख पर उपलब्ध पक्षकारों के साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि प्रारंभ से ही अपीलकर्ता अपने वैवाहिक संबंधों को पुनर्जीवित करने में रुचि नहीं रखता था और इसी कारण उसने उत्तरदाता को पुनः वैवाहिक गृह में लाने के लिए किसी प्रकार का सकारात्मक प्रयास या कानूनी उपाय नहीं अपनाया। न्यायालय यह भी नहीं समझ सका कि यदि अपीलकर्ता का यह कथन सत्य है कि उसने अपने वैवाहिक संबंधों को

पुनर्जीवित करने का गंभीर प्रयास किया और उत्तरदाता पुनर्मिलन के प्रति अडिग रही, तो उसने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय का सहारा क्यों नहीं लिया। इसी प्रकार यह भी तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता कि अपीलकर्ता ने क्यों कभी उत्तरदाता का नाम अपने बैंक खाते अथवा बीमा दस्तावेजों में नॉमिनी के रूप में सम्मिलित नहीं किया, जिससे उसके आचरण का स्पष्ट संकेत मिलता है। अभिलेख के साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट नहीं होता कि अपीलकर्ता की ओर से क्रूरता के किसी विशिष्ट उदाहरण का उल्लेख किया गया हो। यद्यपि अ.सा.-2 और अ.सा.-3 ने यह कहा कि जब वे उत्तरदाता को लाने उसके घर गए थे तो उन्हें गाली-गलौज और अपमानित किया गया, परंतु किस प्रकार की गाली दी गई और किस प्रकार से उनका अपमान हुआ, इसका कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे यह आभास होता है कि केवल क्रूरता और परित्याग के आधार पर विवाह-विच्छेद का मामला बनाने का प्रयास किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय ने समर घोष बनाम जया घोष 2007 (4) एस.सी.सी. 511 में, ब्रिटिश, कनाडाई और अमेरिकी कानूनों के अंतर्गत विभिन्न वादों का विश्लेषण करते हुए तथा एन.जी. दास्ताने (डॉ.) बनाम. एस दास्ताने एवं अन्य अनेक निर्णयों का संदर्भ लेते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि मानसिक क्रूरता कोई स्थिर अवधारणा नहीं है और इसे परिभाषित करने के लिए कोई कठोर सूत्र या निश्चित मानदंड निर्धारित नहीं किए जा सकते। केवल उदाहरण गिनाए जा सकते हैं, जिन्हें कभी पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे कुछ उदाहरण, जिन्हें मानसिक क्रूरता के रूप में देखा गया है, वे स्थितियाँ हैं जहाँ पति-पत्नी का साथ रहना गहन मानसिक पीड़ा, कष्ट और दुःख के बिना संभव नहीं हो, अथवा जब यह पाया जाए कि पीड़ित पक्ष को प्रतिपक्षी के आचरण को सहन करने अथवा उसके साथ जीवन व्यतीत करने के लिए विवेकसम्मत रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि केवल रुखापन या स्नेह की कमी को क्रूरता नहीं माना जा सकता। यहाँ तक कि यदि भाषा में बार-बार रूखापन, व्यवहार में चिड़चिड़ापन, उदासीनता अथवा उपेक्षा भी दिखाई दे, तो भी जब तक यह ऐसे स्तर तक न पहुँच जाए कि अन्य जीवनसाथी का वैवाहिक जीवन पूर्णतः असहनीय हो जाए, तब तक इसे मानसिक क्रूरता नहीं माना जा सकता।

मानसिक क्रूरता के अंतर्गत एक प्रमुख आधार यह है कि यदि पति-पत्नी के बीच लंबे समय तक निरंतर अलगाव बना रहे, जिससे यह उचित रूप से अनुमान लगाया जा सके कि वैवाहिक बंधन अब किसी भी प्रकार से पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में विवाह

केवल एक कानूनी बंधन के सहारे चलने वाला दुःखदायी संबंध मात्र रह जाता है। ऐसे में उस वैवाहिक संबंध को समाप्त करने से इनकार करना विवाह की पवित्रता की रक्षा नहीं करता, बल्कि इसके विपरीत यह पक्षकारों की भावनाओं और संवेदनाओं के प्रति उपेक्षा को प्रदर्शित करता है।

अतः ऐसी परिस्थिति को मानसिक क्रूरता माना जाएगा।

परंतु यह निर्धारित किया जाना आवश्यक है कि मानसिक क्रूरता किसने किस पर की है और कौन इस मानसिक क्रूरता का लाभ उठाकर अलगाव/विवाह विच्छेद प्राप्त करना चाहता है। वर्तमान मामले में यह सुरक्षित रूप से निष्कर्षित किया जा सकता है कि अपीलकर्ता ने ही अपने उपर्युक्त आचरण से उत्तरदाता पर मानसिक क्रूरता की है। जहाँ तक परित्याग का प्रश्न है, वह केवल अपीलकर्ता की एक चाल प्रतीत होती है, क्योंकि उसने उत्तरदाता को वैवाहिक जीवन में वापस लाने के लिए कभी भी गंभीर प्रयास नहीं किए। जबकि उत्तरदाता ने अपने साक्ष्य में और यहाँ तक कि इस न्यायालय के समक्ष भी स्पष्ट रूप से कहा कि वह वैवाहिक संबंध को जारी रखना चाहती है और उसने किसी प्रकार के भरण-पोषण को भी अस्वीकार कर दिया। यह तथ्य भी इस बात से पुष्ट होता है कि उत्तरदाता ने आपसी सहमति से विवाह विच्छेद लेने के लिए दी गई अपनी सहमति वापस ले ली थी।

यह स्थिति मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आती है।

तथापि, यह निर्णय लिया जाना आवश्यक है कि मानसिक क्रूरता किसने किस पर की और इस मानसिक क्रूरता का लाभ लेकर अलगाव/विवाह विच्छेद किसने प्राप्त करना चाहा। वर्तमान मामले में यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि अपीलकर्ता ने अपने उपर्युक्त आचरण से उत्तरदाता पर मानसिक क्रूरता की है और जहाँ तक परित्याग का प्रश्न है, वह केवल अपीलकर्ता की एक चाल प्रतीत होती है, क्योंकि उसने उत्तरदाता को वैवाहिक जीवन में वापस लाने का कोई गंभीर प्रयास कभी नहीं किया। जबकि उत्तरदाता ने अपने साक्ष्य में और यहाँ तक कि इस न्यायालय के समक्ष भी स्पष्ट रूप से कहा था कि वह वैवाहिक संबंध को जारी रखना चाहती है और उसने भरण-पोषण लेने से भी इंकार कर दिया था। यह तथ्य इस बात से भी पुष्ट होता है कि उत्तरदाता ने आपसी सहमति से विवाह विच्छेद लेने के लिए दी गई अपनी सहमति वापस ले ली थी।

अतः हम परिवार न्यायालय, पटना के माननीय प्रधान न्यायाधीश के निर्णय से सहमत हैं।

परिणामस्वरूप, हमारे पास इस अपील को ख़ारिज करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। अतः, **यह अपील निरस्त की जाती है** और पटना परिवार न्यायालय के माननीय प्रधान न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री की पुष्टि की जाती है।

व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

(श्री सत्यव्रत वर्मा, न्यायमूर्ति)

(श्री आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

ऋषभ/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।